# ...लय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 65/2019

उनवान

1. देवीलाल पुत्र रामचन्द्र
2. सोहनी पुत्री रामचन्द्र
3. सीता पुत्री रामचन्द्र
4. गीता पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी नान्दला

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– राज0 पेरोकार

---

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :–

दिनांक :– 9.11.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम नान्दला में वादीगण के पिता के नाम वादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज है जिसका वर्णन वर्किंग व आधार जमाबन्दी अनुसार निम्न प्रकार है:–

| खाता नं0 | खसरा संख्या वर्किंग जमाबन्दी | रकबा | खसरा नं0 | खसरा संख्या आधार जमाबन्दी | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419/723 | 2594 मीन | 10 बीघा | 1/1 | 2450 | 0.60 | बा.3 |
| | | | | 2451 | 0.24 | बा.3 |
| | | | | 2452 | 3.70 में से 0.44 | बा.3 |
| | | | | 2453 | 0.15 | बा.3 |
| | | | | 60 | 0.07 | चाही–3 |
| | | | | 4/4262 | 0.10 | बा.3 |

उपरोक्त आराजियात वादीगण के पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज है। तथा वादीगण की खातेदारी जमीन है। जिसमें वादीगण काबिज काश्त है। वर्किंग जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2594 रकबा 10 बीघा सम्वत 2041 से 2044 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात में आधार जमाबन्दी सम्वत 2066

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

में वादीगण का नाम हटाकर सिवायचक भूमि अंकित कर दिया जबकि उक्त आराजियात आधार जमाबन्दी में वादीगण के नाम इन्द्राज होनी चाहिए थी। वादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबन्दी खसरा नम्बर 2594 के नवीन खसरा नम्बर 2450, 2451, 2452, 2453, 2460, 2414/4262 बनाते समय राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया गया एवं काबिज काश्त भूमि इन्द्राज कर दी जो रेकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। अतः राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया व वादी को खातेदार घाषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या ने अपने जवाब में जाहिर किया की वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज होने का कथन वादी स्वयं सिद्ध करे।

वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया की आधार जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2450, 2451, 2453, 2460, 2414/4262 व सहवन से खसरा नम्बर 2452 रकबा 3.70 में से 0.44 का नाम छूट गया है जिसे जोडा जाना न्यायोचित है। क्योंकि वर्किंग खसरा नम्बर 2594 मिन कुल दस बीघा वादीगण के पिता के नाम इन्द्राज है तथा मौके पर भी 2452 रकबा 3.70 में से 0.44 वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नम्बर के साथ–साथ सहवन से छूटे खसरा नम्बर 2452 रकबा 3.70 में से 0.44 को जोडा जाता है तो वाद पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर कोई आपत्ती प्रस्तुत नहीं की है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी।

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

——वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी, वर्किंग जमाबन्दी, नक्शा दस्तावेज प्रस्तुत किये ।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है–

*तनकी संख्या 1 :–*

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2594 रकबा 10 बीघा वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र किशना जाति माली के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2042–45, 2054–57, 2058–61 में श्री रामचन्द्र वल्द किशना का नाम दर्ज है। किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा आधार जमाबन्दी बनाने के दौरान खसरा नम्बर 2594 रकबा 10 बीघा के बने खसरा नम्बर 2450, 2451, 2452, 2453, 2460, 2414/4262 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पिता रामचन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...शना जाति माली के नाम वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज थी जिसे बंदोबस्त पश्चात बनी आधार ...दी में बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्वक सिवायचक दर्ज कर दिया गया। भूधारक ...सीलदार नसीराबाद द्वारा वाद के खण्डन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर केवल मात्र औपचारिक खण्डन किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उसके कथनों की ताइद होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा भी सिद्ध होता है। वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम नान्दला के वर्किंग खसरा नम्बर 2594 मीन रकबा 10–00–00 बीघा, आधार जमाबन्दी खसरा नम्बर 2450, 2451, 2452 मिन, 2453, 2460, 2414/4262 रकबा 0.60, 0.24, 0.44, 0.15, 0.07, 0.10 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.11.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

देवीलाल बनाम सरकार

दावा बाबत :– 88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –65/19
पेश करने की दिनांक – 11.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई सरकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के वर्किंग खसरा नम्बर 2594 मीन रकबा 10–00–00 बीघा, आधार जमाबन्दी खसरा नम्बर 2450, 2451, 2452 मिन, 2453, 2460, 2414/4262 रकबा 0.60, 0.24, 0.44, 0.15, 0.07, 0.10 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 11 सन् 2020 को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद